



न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।
भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या-59 / 2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

शंकर मांझी

बनाम्

शिवनाथ मांझी

—: आदेश :-

वर्तमान वाद की प्रक्रिया शंकर मांझी, पिता-कन्हारि मांझी, सा0+पो0+थाना-मनिका, जिला-लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) (बी) के तहत क्रेता शिवनाथ मांझी पिता-प्यारी राम, सा0+पो0+थाना-मनिका, जिला-लातेहार के साथ मौजा-मनिका अंचल-मनिका, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-1400 रकबा-0.09 एकड़ एवं खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-1402, रकबा-0.03 एकड़ कुल रकबा-0.12 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया। दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 18.06.2024 को सशरीर उपस्थित होकर जमीन का उचित बाजार मूल्य पर क्रय-विक्रय के लिए सहमति व्यक्त करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक-190 दिनांक 07.06.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक-190 दिनांक 07.06.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा-मनिका अंचल-मनिका, खाता संख्या-19, प्लॉट संख्या-1400 रकबा-0.09 एकड़ एवं खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-1402, रकबा-0.03 एकड़ कुल रकबा-0.12

[Handwritten signature]

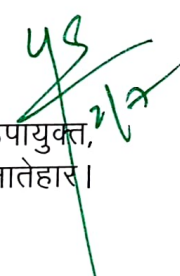
एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी है। बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास कुल-02.01 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा भूमि बिक्री की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है।

अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि का अभिलेख में उपलब्ध मांग पंजी-॥ में कन्हाई मांझी, जयश्री मांझी पिता-दरोगा मांझी अंकित है तथा खाता नं०-19 के प्लॉट नं०-1400 एवं खाता नं०-20 के प्लॉट नं०-1402 रकबा शून्य दर्ज है। पंजी-॥ में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदक द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46(1)(बी) के अंतर्गत अनुमति के लिए दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।


उपायुक्त,
लातेहार।


उपायुक्त,
लातेहार।